न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 735/2023

अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र नौरंगराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. पुनम ढ़ाका पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 24/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 302/47 की कुल 13.3710 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा, रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 304/134 की कुल 10.4330 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा, रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 136/135 की कुल 3.2370 हैक्ट भूमि में से 1/11 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 302/47 की कुल 13.3710 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा, रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 304/134 की कुल 10.4330 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा, रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 136/135 की कुल 3.2370 हैक्ट भूमि में से 1/11 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:46 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 302/47 की कुल 13.3710 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा, रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 304/134 की कुल 10.4330 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा, रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 136/135 की कुल 3.2370 हैक्ट भूमि में से 1/11 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी का स्वीकार किया जाकर अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 302/47 की कुल 13.3710 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा, रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 304/134 की कुल 10.4330 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा, रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 136/135 की कुल 3.2370 हैक्ट भूमि में से 1/11 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:46 IST
Reason: SelfAttested

गया है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 302/47 की कुल 13.3710 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 304/134 की कुल 10.4330 हैक्ट भूमि में से 5/66 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है उक्त दोनो खातो में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 136/135 की कुल 3.2370 हैक्ट भूमि में से 1/11 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 735 / 2023

अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र नौरंगराम जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
2. पुनम ढ़ाका पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 735 सन 2023 निर्णय दिनांक 24/11/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 302 / 47 की कुल 13.3710 हैक्ट भूमि में से 5 / 66 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 304 / 134 की कुल 10.4330 हैक्ट भूमि में से 5 / 66 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है उक्त दोनो खातो में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 प्रत्येक को 1 / 3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 136 / 135 की कुल 3.2370 हैक्ट भूमि में से 1 / 11 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 प्रत्येक को 1 / 3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..24/11/25.......... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:46:46 IST
Reason: SelfAttested